डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

सुनहरा बनाम लक्ष्मी वगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 17/2024

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी बा...
मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादिनी के खरीदशुदा खसरा नंबर 1744 मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 11.06.21 को नए खसरा नंबर 2138/1744 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **09.12.2024** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बावत इजराय हुक्म नामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:05:34 IST
Reason: SelfAttested

1. सुनहरा पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी रामभरोसी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।
3. इन्दरसिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. भीमसिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विक्रमसिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 16:05:34 IST
Reason: SelfAttested

9/12/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 17/2024
जीसीएमएस न. 2024/00048
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 09.12.2024

1. सुनहरा पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी रामभरोसी जाति जाटव निवासी लुहासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

3. इन्दरसिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. भीमसिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विक्रमसिंह पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी हरनेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार (वादीगण)

श्री परशुराम (प्रतिवादी की ओर से)

:: निर्णय :: दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षकारान वादपत्र लडने योग्य हैं।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2138/1747 रकबा 0.3950, 2136/1744 रकबा 0.0250, 2137/1744 रकबा 0.1200 वाके ग्राम लुहासा स्थित है।
3. यह कि उक्त आराजी मूल खसरा नंबर 1744 रक[illegible] से बाद अवाप्त रोड बनाए गए हैं। मूल खसरा नंबर 1744 के खातेदार [illegible] लक्ष्मी पत्नी रामभरोसी जाति जाटव निवासी लुहासा [illegible] खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड दर्ज है। वादिनी द्वारा खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] रजिस्टर्ड बयनामा खसरा संख्या 1744 रकबा 0.54 में से 446/5400 वाहिस्सा जरिए रजिस्टर्ड

9/12/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 16:05:34 IST
Reason: SelfAttested

वयनामा दिनांक 11.06.21 को प्रतिफल राशि नौ लाख रूपए अदा कर क्रय किया। तथा मुताबिक वयनामा वादिनी मौके पर काबिज काश्त है। वयनामा होने के बाद खसरा नंबर 1744 में से रोड वाईपास निकाल गया जिसका मूल खसरा नंबर 1744 के टुकडे किए गए तथा 2137/1744 रोड का नंबर बनाया गया। तथा वादिनी का नया खसरा नंबर बाद वाईपास निकलने खसरा नंबर 2138/1744 बना दिया गया तथा शेष 2136/1744 बना दिया गया जिसमें तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 दर्ज रिकार्ड है। नया खसरा नंबर वादिनी का 2138/1744 बना दिया गया है। इस प्रकार वादिनी का मुताबिक वयनामा दाखिला खारिज नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्से के गलत इन्द्राजात दर्ज हैं। अतः वादिनी नया नंबर 2138/1744 वाईपास निकलने के बाद बनाकर मुताबिक वयनामा दिनांक 11.06.21 वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राजात 1/5 को कलमजन किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से श्री परसुराम एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगणों की तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दावा मुताबिक प्रार्थना डिक्री किए जाने हेतु पत्रावली पर अपनी सहमति दी गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 343 एवं रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 11.06.21 पेश किए गए तथा मौखिक बयान में वादी सुनहरा पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी हरनेरा के बयान पेश किए गए।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तो पाया कि वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी आराजी खसरा नंबर 2138/1747 रकबा 0.3950, 2136/1744 रकबा 0.0250, 2137/1744 रकबा 0.1200 वाके ग्राम लुहासा तहसील नदबई स्थित है। आराजी के मूल खसरा नंबर 1744 रकबा 0.54 से बाद अवाप्त रोड बनाए गए हैं। मूल खसरा नंबर 1744 के खातेदार प्रतिवादी लक्ष्मी पत्नी रामभरोसी जाति जाटव निवासी लुहासा भी खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड दर्ज है। वादिनी द्वारा खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से जरिए रजिस्टर्ड वयनामा खसरा संख्या 1744 रकबा 0.54 में से 446/5400 वाहिस्सा जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 11.06.21 को प्रतिफल राशि नौ लाख रूपए अदा कर क्रय किया। तथा मुताबिक वयनामा वादिनी मौके पर काबिज काश्त है। वयनामा होने के बाद खसरा नंबर 1744 में से रोड वाईपास निकाल गया जिसका मूल खसरा नंबर 1744 के टुकडे किए गए तथा 2137/1744 रोड का नंबर बनाया [illegible] वादिनी का नया खसरा नंबर बाद वाईपास निकलने खसरा नंबर 2138/17[illegible] नया तथा शेष 2136/1744 बना दिया गया जिसमें तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 दर्ज रिकार्ड है। नया खसरा नंबर वादिनी का 2138/17[illegible] बना दिया गया है। चूंकि वादिनी के रजिस्टर्ड वयनामा का दाखिला खारिज नहीं हुआ है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मी पत्नी रामभरोसी के नाम खातेदारी हिस्सा 1/5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 16:05:34 IST
Reason: SelfAttested

9/12/24

इन्द्राज हैं जो कि काबिल कलमजन के हैं। तथा वादी के शपथ पत्र से भी वादपत्र की ताहीद होती है। तथा प्रतिवादी द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार किए जाने हेतु अपनी सहमति पत्रावली पर दी गई है। अतः वादी का वादपत्र काबिल डिक्री है।

अतः आदेश है कि वादिनी के खरीदशुदा खसरा नंबर 1744 मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 11.06.21 को नए खसरा नंबर 2138/1744 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9/12/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:05:34 IST
Reason: SelfAttested